

न्यायालय-सुनील अहिरवार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डिण्डौरी (म0प्र0)
संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन-पत्रक

क्रमांक /228/स्टेनो/2023,

डिण्डौरी, दिनांक-18.08.2023

मैं सुनील अहिरवार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डिण्डौरी म0प्र0 धारा 14(1) और धारा 15(2) दं.प्र.सं. 1973 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन प्रशासनिक दृष्टि से पूर्व में जारी आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक दिनांक 27.04.2023 में अंतरिम संशोधन निम्नानुसार किया जाकर सरल क्रमांक 3 के कॉलम नम्बर 03 में स्थापित थाना बजाग को विलोपित किया जाकर सरल क्रमांक 1 कॉलम नम्बर 3 के स.क्र.4 (न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिण्डौरी) में स्थापित किया जाता है, साथ ही स0क्र0 3 कॉलम नम्बर 4 की कंडिका 02 में लेख आदेश यथावत रहेगा। यह संशोधन आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय डिण्डौरी के अनुमोदन पश्चात् से प्रभावशील रहेगा :-

उक्त आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय डिण्डौरी के अनुमोदन पश्चात् तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला-डिण्डौरी म.प्र.

सुनील अहिरवार
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-डिण्डौरी म.प्र.